08/12/25 आज यह पत्रावली पेश हुयी। बमुलाहिजा
फाईल हुई। पत्रावली का अध्ययन
किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन
किया गया। वादी का वाद-पत्र
डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय
अलग से लिखा जाकर शा० किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। बाद प्रोटे शामिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)
मुक्दमा नम्बर :–157 / 2025
दायर दिनांक :– 30.07.2025
निर्णय दिनांक :– 08/12/25

उनवान

1. रामनिवास पुत्र बुधा जाति माली निवासी बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड़। ... **वादी**

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड। ....**प्रतिवादी**

<u>दावा बाबत तकासमा एवं हुक्म ईम्मतनाई दवामी व दीगर दादरसी हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी की और से।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलराय फरीकेन उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बहरोड तरफ गंगाबिशन का रहने वाला है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0,1089 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन में स्थित है। वादी रामनाथ पुत्र बुधा राम के पिता तीन भाई थे। बुधा बाबूलाल किशोरिलाल ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन के हाल आराजी खसरा 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0 ,1089 रकबा 0.02 है0 किता तीन रकबा 0.58 है0 के संयुक्त काश्त में गैर खातेदार दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के न्यू खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0 ,1089 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड में वादी की सुयक्त गैर खातेदारी की भूमि है। जिसका रिकोर्ड में बंटवारा नही हुआ है। विवादित आरजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के पिता दादा कल्लू बल्द रता काश्त करते आ रहे है उनके फोत होने के पश्चात प्रार्थी वादी का विवादित आराजी पर 1/3 हिस्से पर प्रकाश चमेली वगैरा व 1/3 हिस्सा ग्यारसी वगै0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी रामनिवास पुत्र बुधा के दादा कल्लू बल्द रता जाति माली ने उक्त आरजी बाबत् किमत भूमि राशि 108 रूपये 58 पैसे मधे रोकड 664.46 रूपये जरिये चालान नम्बर 102 दिनांक 06.03.1961 को जमा कराये गये है। उक्त आरजी पर वर्तमान पर कोई किमत व ब्याज बकाया नही है। वादी के दादा कल्लू द्वारा आरजी की सम्पूर्ण राशि दिनांक 06.03.1961 को जमा करवाई गई थी किन्तु उनके हक मे खातेदारी का इन्द्राज नही किया गया। विवादित आरजी आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड ळै। आरजी की समस्त किमत जमा होने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है किन्तु उक्त आरजी पर सम्पूर्ण किमत जमा होने पर भी खातेदारी दर्ज नही की गई। विवादित आरजी के 1/3 भाग के हिस्सेदारान द्वारा श्रीमान की सेवा में खातेदारी दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत पेश किये जाने पर उनके हक में खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी भी अपने हिस्से पर खातेदारी दर्ज कराये जाने का अधिकारी है। अतः वादी वाद पत्र डिक्री इस्तकरार हक बहक वादी अस

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

आश्य की जारी कि जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0 ,1089 रकबा 0.02 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड में वादी रामनिवास पुत्र बुधा हिस्सा 1/3 जाति माली के दर्ज गैर खातेदारी को कलमजन कर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। इसी कदर हाल राजस्व भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने कि कृपा करे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया है कि साबिक खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0 व 1088 रकबा 0.54 है0,1099 रकबा 0.02 है0 किता तीन रकबा 0.58 है0 के संयुक्त काश्त में गैर खातेदार दर्ज है जो सही है। स्वीकार है। विवादित आराजी के अनुतोष से संबंधित है। जो न्यायालय श्रीमान विधित आदेश प्रदान करने कि कृपा करे।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 प्रदर्श–1, नकल गिरदावरी प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्धक वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बहरोड़ तर्फ गंगाबिशन प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी खेवट प्रदर्श–7 आदि दस्तावेज पेश किया है। वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य हेतु पेश किये है।

हमारे द्वारा वकुलाय कि बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0,1089 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन में स्थित है। रामनाथ पुत्र बुधाराम के पिता तीन भाई थे। बुधा बाबूलाल किशोरिलाल ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन के हाल आराजी खसरा 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0,1089 रकबा 0.02 है0 किता तीन रकबा 0.58 है0 के संयुक्त काश्तकार गैर खातेदार दर्ज है। वादी रामनिवास पुत्र बुधा के दादा कल्लू बल्द रता जाति माली ने उक्त आरजी बाबत् भूमि किमत राशि 108 रूपये 58 पैसे, रोकड 664.46 रूपये जरिये चालान नम्बर 102 दिनांक 06.03.1961 को जमा किया है। तहसीलदार बहरोड ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि वादी स्वयं सिद्व करे। जिस सूरत में वादी अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने को मुस्तहक है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0 ,1089 रकबा 0.02 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड में वादी रामनिवास पुत्र बुधा हिस्सा 1/3 जाति माली के दर्ज गैर खातेदारी को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनाक 08/12/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)
मुकदमा नम्बर :–157 / 2025
दायर दिनांक :– 30.07.2025
निर्णय दिनांक :– 08/12/25

उनवान

1. रामनिवास पुत्र बुधा जाति माली निवासी बहरोड़ तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड़। ... **वादी**

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। ....**प्रतिवादी**

<u>दावा बाबत तकासमा एवं हुक्म ईम्मतनाई दवामी व दीगर दादरसी हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी की और से।

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलराय फरीकेन उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 व 1088 रकबा 0.54 है0 ,1089 रकबा 0.02 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड में वादी रामनिवास पुत्र बुधा हिस्सा 1/3 जाति माली के दर्ज गैर खातेदारी को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनाक 08/12/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)